

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 364]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 26 जुलाई 2011—श्रावण 4, शक 1933

महिला एवं बाल विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई 2011

क्र. एफ. 9-1-2010-पचास-1.—बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 (2006 का 4) की धारा 18 एवं 19 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में निम्नलिखित व्यक्तियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाता है:—

1. श्रीमती विजया शुक्ला, अशोकनगर
2. डॉ. रीता उपमन्यु, इन्दौर
3. श्रीमती आशा यादव, सिंगरौली
4. श्रीमती रीना गुजराल, जबलपुर

2. बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 की धारा 19 के प्रावधान अंतर्गत उक्त सदस्यों का कार्यकाल इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से 03 वर्ष तक अथवा उनके द्वारा 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, इसमें जो भी पहले हो की अवधि के लिये होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. आर. नायडू, प्रमुख सचिव.